

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री सज्जनसिंह
किस्म मुकदमा - 136 भू रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य
पत्रावली संख्या : 86/25
जीसीएमएस : 2025/284

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्द तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 05.06.2025</p> <p>पत्रावली प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी व राजपेरोकार को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण की जाति सज्जनसिंह पिता मनोहरसिंह राव, हरिसिंह पिता मनोहरसिंह राव गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जामि गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौजा बोयणा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 203, 59 प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थीगण की जाति सज्जनसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत, हरिसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत अंकित होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर प्रार्थीगण की जाति संशोधित किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण जाति गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोयणा पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 267 पर दर्ज आराजी नम्बर 201 भूमि में खातेदार सज्जनसिंह पिता मनोहरसिंह राव के बजाय सज्जनसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत एवं हरिसिंह पिता मनोहरसिंह राव के बजाय हरिसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

